

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

E Mail

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: जीओ 7/सम्पेक्षा/आईएवाई साओ/08 09 दिनांक 17 अप्रैल 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में इन्दिरा आवास योजना-न्तर्गत सामान्य मद के राज्यांश की घनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-731/38-8 2008/02बजट/07(वित्त), दिनांक 11-4-2008 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसके द्वारा इन्दिरा आवास योजना के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए सामान्य मद की प्राविधानित घनराशि के सापेक्ष रू० 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० के निस्तारण पर रखी गयी है। उक्त घनराशि संलग्नक के सम्मुख कालम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित की जा रही है कि घनराशि भारत सरकार से इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक आहरित की जायेगी।

2- आवंटित घनराशि का सदुपयोग संलग्न शासनादेश दिनांक 11.4.2008 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाय। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन होता है तो इसकी सूचना इस कार्यालय के अपर आयुक्त (लेखा)/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को दिया जाये जो सम्पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को सूचित करेंगे।

3- घनराशि का आहरण संलग्न शासनादेश के प्रस्तर 2 में उल्लिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा यदि जनपद में एक से अधिक कोषागार हों तो आप आवंटित घनराशि का कोषागारवार विभाजन करके सम्बन्धित कोषाधिकारी को भेज दें।

4- आवंटित घनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या, दिनांक तथा आहरित घनराशि के विवरण सहित इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- इस आवंटन के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अधीन लेखाशीर्षक 2505-ग्राम रोजगार-01 राष्ट्रीय कार्यक्रम-702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 05 इन्दिरा आवास योजना(जिला योजना) (केन्द्रांश 75 प्रतिशत/राज्यांश-25 प्रतिशत)-27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7- योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य मद में आपके जनपद को आवंटित घनराशि का प्रागामी योग संलग्नक के कालम 4 में दर्शाया गया है।


8- उक्त आवंटन केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ 130 पर अंकित कर दिया गया है।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

मुख्य,
Manoj
(मनोज कुमार सिंह) 17.4.08
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक: जीओ 7/सम्पेक्षा/आईएवाई सा0/08 09 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0।
- 5- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
- 6- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 7- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-8, उ0प्र0शासन को शासनादेश संख्या-731/38-8-2008/02बजट/07(वित्त), दिनांक 11-4-2008 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2 वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 10- राज्य योजना आयोग 2/नियोजन अनुभाग 3/5/ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।


(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

पत्रांक-जीओ-7 / सम्प्रेक्षा / आईएवाई-सा0 / 08-09 दिनांक 17 अप्रैल-2008

का संलग्नक

वर्ष 2008-09 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत (सामान्य मद में) धनराशि का आवंटन
(धनराशि लाख रू० में)

क्र० स०	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	AGRA	19.08	19.08
2	ALIGARH	22.37	22.37
3	ALLAHABAD	28.87	28.87
4	AMBEDKAR NGR	18.03	18.03
5	AZAMGARH	41.88	41.88
6	BADAUN	32.52	32.52
7	BAGPAT	3.41	3.41
8	BAHRAICH	67.71	67.71
9	BALLIA	61.99	61.99
10	BALRAMPUR	29.36	29.36
11	BANDA	7.34	7.34
12	BARABANKI	53.09	53.09
13	BAREILLY	22.57	22.57
14	BASTI	32.49	32.49
15	BIJNOR	29.57	29.57
16	BULANDSHAHAR	19.78	19.78
17	CHANDAULI	13.27	13.27
18	CHITRAKOT	4.48	4.48
19	DEORIA	59.45	59.45
20	ETAH	20.92	20.92
21	ETAWAH	13.84	13.84
22	FAIZABAD	21.43	21.43
23	FATEHPUR	25.54	25.54
24	FIROZABAD	13.23	13.23
25	FURRUKHABAD	16.40	16.40
26	G. B. NAGAR	5.95	5.95
27	GHAZIABAD	12.34	12.34
28	GHAZIPUR	28.46	28.46
29	GONDA	60.82	60.82
30	GORAKHPUR	54.58	54.58
31	HAMIRPUR	4.92	4.92
32	HARDOI	41.35	41.35
33	HATHRAS	10.74	10.74
34	J P NAGAR	8.84	8.84
35	JALAUN	8.35	8.35
36	JAUNPUR	55.01	55.01

Handwritten signature

Handwritten signature

पत्रांक- जीओ-7/सम्प्रेक्षा/आईएवाई-सा0/08-09 दिनांक 17 अप्रैल-2008

का संलग्नक

वर्ष 2008-09 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत (सामान्य मद में) धनराशि का आवंटन
(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
37	JHANSI	7.38	7.38
38	KANNAUJ	12.18	12.18
39	KANPUR DEHAT	19.69	19.69
40	KANPUR NAGAR	20.20	20.20
41	KAUSHAMBHI	17.23	17.23
42	KUSHINAGAR	195.71	195.71
43	LAKHIMPUR KHERI	117.57	117.57
44	LALITPUR	6.10	6.10
45	LUCKNOW	21.58	21.58
46	MAHOBA	3.73	3.73
47	MAHRAJGANJ	49.41	49.41
48	MAINPURI	13.07	13.07
49	MATHURA	12.15	12.15
50	MAU	15.90	15.90
51	MEERUT	14.46	14.46
52	MIRZAPUR	18.37	18.37
53	MORADABAD	29.86	29.86
54	MUZ. NAGAR	22.69	22.69
55	ORRIYA	13.63	13.63
56	PILIBHIT	29.43	29.43
57	PRATAPGARH	28.16	28.16
58	RAEBAREILLY	35.83	35.83
59	RAMPUR	17.30	17.30
60	SAHARANPUR	27.53	27.53
61	SANT K NAGAR	19.84	19.84
62	SANT R. NAGAR	11.18	11.18
63	SHAHJAHANPUR	34.73	34.73
64	SHRAVASTI	23.64	23.64
65	SIDHART NAGAR	20.55	20.55
66	SITAPUR	70.68	70.68
67	SONBHADRA	13.71	13.71
68	SULTANPUR	31.61	31.61
69	UNNAO	39.15	39.15
70	VARANSI	15.77	15.77
	State Total ::	2000.00	2000.00
(रु0 बीस करोड़ मात्र)			

(अवधेश कुमार)

अपर आयुक्त (लेखा)

ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

1389
16/4/08

जी. झौ. 07 / सम्यक / 14.4.08
सं०- / 38-8-2008 / 02 बजट / 07 (वित्त)

प्रेषक,

अमिताभ
संयुक्त सचिव
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
जवाहर भवन, लखनऊ।

11.4.08
2586/PA/CAO/CO
15-4-08

ग्राम्य विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 11 अप्रैल, 2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2008-09 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

राज्य आयुक्त
(लखनऊ) महोदय,

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्दिरा आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष 25 प्रतिशत राज्यांश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 में इन्दिरा आवास योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से धनराशि ₹० 20,00,00,000 (₹० बीस करोड़ मात्र) आपके निस्तारण पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबंधों/ शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है फिर भी धनराशि के आहरण में परिव्यय की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. स्वीकृति की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।
4. समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिसीतियों में इसे बैंक में नहीं रखा जायेगा।
5. इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

CAO
11.4.08
16.4.08

A(1) 15/01/5

16/4/08

2. तत्संबंधी चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 के अधीन लेखाशीर्षक -2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-05-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (केन्द्रांश-75 प्रतिशत/ राज्यांश -25 प्रतिशत)- 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फांट संबंधित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जिलाधिकारी केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सकें।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०- बी-1/1071/दस-2008-231/2008 दिनांक 20.3.2008 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमिताभ)

संयुक्त सचिव

सं०-73 / (1) / 38-8-08 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक उ०प्र०।
4. निदेशक, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त व्यय नियंत्रण-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनु०-2।
10. राज्य योजना आयोग-2/नियोजन अनुभाग-3/5/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
11. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(जे०पी० घोरसिया)

उप सचिव